न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

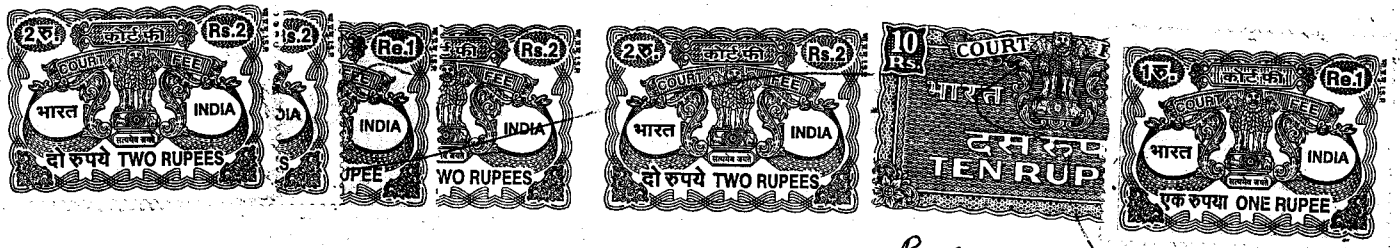

R-5538-III/2011

1. दिवाकर सिंह तनय स्व. श्री लालबहादुर सिंह,
2. उपेन्द्र बहादुर सिंह तनय स्व. श्री लाल बहादुर सिंह,

दोनों निवासी– ग्राम–कोटहा, तहसील गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0)

———निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

बनाम्

1. मो0 मकबूल तनय हाजी मोहम्मद मोहायुद्दीन, निवासी ग्राम–कोटहा,
2. अशोक सिंह तनय बृजेन्द्र बहादुर सिंह, निवासी ग्राम–मूड़ी,
3. आलोक सिंह तनय बृजेन्द्र बहादुर सिंह, निवासी ग्राम–मूड़ी,
4. कृष्णा देवी पत्नी बृजेन्द्र बहादुर सिंह, निवासी ग्राम–मूड़ी,

सभी की तहसील गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0)

5. मध्यप्रदेश शासन, जरिये– कलेक्टर सीधी

———प्रत्यर्थीगण/अनावेदकगण

राजस्व मण्डल 962 आवक क्र..... दिनांक 24-11 मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रं0 34/निगरानी/99–2000 आदेश दिनांक 15.02.2011.

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–

यह कि सहायक बन्दोवस्त अधिकारी सीधी, जिला–सीधी (म0प्र0) ने बन्दोवस्त कार्यवाही के दौरान दिनांक 26.06.98 को प्रकरण क्रं0 33/अ–27/96–97 द्वारा एक संशोधित आदेश पारित किया। कलेक्टर सीधी ने इस आदेश को पुर्नविलोकन करने का आदेश दिनांक 22.05.2000 को प्रकरण क्रं0 1/पुर्नविलोकन/99–2000 द्वारा आदेश पारित किया है। कलेक्टर सीधी

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-538-तीन/11 जिला सीधी

दिवाकर सिंह / मोह. मकबूल वगैरह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.9.15.	1- आवेदक गण की ओर से श्री शेषमणि पाण्डेय उपस्थित। 2- अनावेदक गण सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3- आवेदक अभिभाषक द्वारा आदेश 22 नियम 4 व्य.प्र.सं. के तहत एक आवेदन पत्र पेश किया गया है कि अना. क्रमांक-1 मोह. मकबूल का नाम विलोपित करते हुये मोह. मकबूल के सहमत के कारण उसके वारिसों को इस प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में आवश्यक नहीं है। अतः उक्त का नाम प्रतिस्थापन आवश्यक न होने के कारण छूट स्वीकार किया जाये। 4. आवेदक द्वारा उभय पक्षों के हस्ताक्षर से दिनांक 11.6.14 को राजीनामा शर्तों के अधीन किये जाने बावत आवेदन पेश किया गया है। 5. उक्त दोनों आवेदनों पर आदेश हेतु। पेशी तारीख 21-10-15 सदस्य.	16/9/15
29/9/15	1- प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 34/निगरानी/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 15-2-2011 के विरुद्ध दायर की गई है, जो कि बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश	

[कृ. प. उ.

(102)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	→ दिनांक 22-5-2000 के विरुद्ध थी जिसमें उन्होंने पुनर्विलोकन-आवेदन पर ऐसा आदेशित किया था कि "सभी हितबद्ध व्यक्तियों की सुनवाई करने के बाद नये सिरे से आदेश पारित किया जाय।"	
	2- निगरानी ज्ञापन में ऐसा कोई स्पष्ट आधार नहीं दर्शाया गया कि यदि उभयपक्षों की सुनवाई के बाद आदेश पारित करने के लिए बंदोबस्त अधिकारी ने आदेश दिया और अपर कमिश्नर ने उसे कायम रखा तो, उस आदेश में कौन सी अवैधानिकता है। इस तरह अनावश्यक तौर निगरानी दायर की गई है। इस मामले में राजीनामा के विरुद्ध पर आवेदन पेश किया गया है, जो तथ्य विचारणीय न्यायालय द्वारा अंतिम सुनवाई के समय विचारणीय होंगे। तदनुसार गुण-दोष पर निर्णय के लिए जो बन्दोबस्त अधिकारी ने आदेश पारित किया है, वह आदेश रद्द किये जाने योग्य नहीं है।	
	3- अपर कमिश्नर के प्रश्नाधीन आदेश 15-2-2011 में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि नहीं है। फलतः यह निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। →	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R.538-III/11 जिला सीधी

दिवाकर सिंह - मो. मकबूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	5- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जाये तत्पश्चात प्रकरण दायरा पंजी से खारिज होकर दाखिल अभिलेखागार हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	

[कृ. प. उ.